

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 381/2025

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र जलन्धर सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

1. जलन्धर सिंह पुत्र घुकरसिह] बनाम्
2. पलविन्द्र कौर पुत्री जलन्धरसिह] जाति जटसिख निवासी सिलवाला कला तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक... 29/9/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक नं० 2 टी. एल. डबल्यू के खाता सं० 17/37 में कुल 4.807 है० में प्रतिवादीसं० 1 जलन्धरसिंह के 147/4807 हिस्सा मे से .126 है० व चकनं० 644 आर.डी. के खातासं० 5/91 में कुल 5.402 है० में प्रतिवादी सं० 1 जलन्धर सिंह के 225/2701 हिस्सा में से .253 है० आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक नं० 2 टी.एल.डबल्यू के खाता सं० 17/37 व चकनं० 644 आर.डी. के खातासं० 5/91 मे से प्रतिवादी सं० 1 जलन्धर सिंह का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/9/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण R.A.S.)
पदेन मुहयिक
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।